मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः24.09.2025

हिन्दू देवी-देवताओं के सम्बन्ध में अपने यूट्यूब चैनल पर अभद्र टिप्पणी/गाना गाने वाली सरोज सरगम को उसके मण्डली सहित कुल 06 नफर अभियुक्तों को मय वाद्ययत्रों सहित गिरफ्तार कर भेजा गया जेल —

सोशल मीडिया में हिन्दू आराध्य देवी माँ दुर्गा के सम्बन्ध में अभद्र / अश्लील टिप्पणी गाने के रूप में करते हुए बिरहा गायिका सरोज सरगम द्वारा अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर व्यापक रूप से वायरल किया गया। हिन्दू धर्मावलम्बियों की आस्था को चोट पहुँचाते हुए शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेश फैलाने का कुत्सित प्रयास किया गया। मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर तत्काल थाना मड़िहान पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ करते हुए अभियुक्ता सरोज सरगम के साथ इस अशोभनीय आपराधिक कृत्य में 08 अन्य अभियुक्त संलिप्त पाये गये, जिनका नाम विवेचना से प्रकाश में लाया गया। साथ ही वायरल पोस्ट को दिनांक 21.09.2025 को रिमूव कराया गया। वायरल पोस्ट रिमूव कराते ही अभियुक्ता सरोज सरगम द्वारा 01 आपत्तिजनक वीडियो स्वयं रिकार्ड किया गया , जिसमें माँ दुर्गा जी के सम्बन्ध में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए हिन्दुओं को सामूहिक रूप से अत्यन्त आपत्तिजनक व असंसदीय गालिया देते हुए वीडियो को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म में वायरल किया गया। इस वायरल वीडियो से जनमानस में आक्रोश एवं विद्वेश की भावना समाज में उत्पन्न हुई।

वायरल वीडियो के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर मीरजापुर में दिनांक- 23.03.2025 को अभियोग पंजीकृत किया गया और प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर मीरजापुर द्वारा आरोपी सरोज सरगम के साथ सह अभियुक्त उसके पति राममिलन बिन्द को दिनांक- 23/24.09.2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण से पूछताछ पर एक बड़े षडयंत्र का पर्दाफाश हुआ है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्ता सरोज सरगम के पति राममिलन बिन्द ने पूछताछ पर बताया कि वह अपनी पत्नी जो बिरहा गायिका है, उसके साथ मिलकर बिरहा मण्डली का संचालन करता है। पूछताछ से यह भी पता चला कि महिला पहले से बिरहा गाना गाती थी एवं पिछले ढाई से तीन साल से पीडीए (पिछड़ा , दलित, अल्प संख्यक) के लिए गाना गा रही है। हिन्दुओं की आराध्य माँ दुर्गा के सम्बन्ध में यूट्यूब पर अपलोड किये गये आपत्तिजनक वीडियो के सम्बन्ध में अभियुक्ता के द्वारा बताया गया कि वह यह काम राजवीर सिंह यादव के कहने पर पैसे देने पर की है। राजवीर सिंह यादव ने उसे यह बताया कि उसकी किताब बहुजन नायक महिषासुर का केश वह हाईकोर्ट / सुप्रीम कोर्ट से जीत चुका है , डरने की कोई बात नहीं है , तुम पर कोई आँच नहीं आयेगी। उपरोक्त लोगों द्वारा यूट्यूब चौनल बनाना, कन्टेन्ट तैयार करना और उसका वीडियो अपलोड करने जैसे अन्य समस्त कार्य प्रयागराज में ही किये जाते थे , क्योंकि बिरहा गायिका सरोज सरगम का पति प्रयागराज हण्डिया का मूल निवासी है। इनकी पूरी मण्डली वीडियो बनाने में सहयोग करती थी। उक्त प्रकरण में 02 मुकदमें पंजीकृत किये गये हैं। सरोज सरगम उसके पति सहित मण्डली में शामिल अन्य 04 लोगों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना के प्रारम्भ में ही जिला साइबर सेल द्वारा आपत्तिजनक कन्टेन्ट को यूट्यूब संस्था से समन्वय स्थापित कर हटवाया

गया था। तत्पश्चात भी विद्वेष फैलाने हेतु अभियुक्ता द्वारा बार-बार सोशल प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक कन्टेन्ट वाला वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ 10 माह पहले मुख्य दोनों अभियुक्त सरोज सरगम और राम मिलन बिन्द इसाई धर्म में धर्म परिवर्तित हुए हैं। इनके कब्जे से कई डिजिटल डिवाइस एवं साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनका साइबर सेल एवं विवेचना टीम द्वारा सघन विश्लेषण किया जा रहा है।

अन्य विवरण-

उल्लेखनीय है कि सरोज सरगम एवं उसके पति राममिलन बिन्द द्वारा ग्राम गढ़वा में वन विभाग की 15 बीघा जमीन में कब्जा करके उसमें काफी लम्बे समय से खेती करायी जा रही थी , जिसको राजस्व, वन विभाग तथा पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 23.09.2025 को कब्जामुक्त कराया गया। इस सम्बन्ध में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही प्रचलित है। राममिलन बिन्द के पास से अत्यन्त आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद हुआ है। उसके सम्बन्ध में विवेचना की जा रही है।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण-

01- मु0अ0सं0-271/2025 धारा-299, 196 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट, थाना मड़िहान, मीरजापुर।

02- मु0अ0सं0-190/2025 धारा- 299, 196, 353 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट व 7 सीएलए एक्ट थाना को0शहर, मीरजापुर।

अपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0-13/17 धारा-143, 341, 353, 332, 283, 336, 504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट, थाना जिगना।

नामजद व प्रकाश में आये अभियुक्तगण का नाम पता-

01- सरोज सरगम उर्फ सरोज कोल पुत्री अमृतलाल पत्नी राममिलन बिन्द निवासी सिंगवान , गढ़वा थाना मड़िहान, मीरजापुर उम्र 35 वर्ष। हाल पता- झुंसी प्रयागराज। (बिरहा गायिका)

02- राममिलन बिन्द पुत्र स्व० रामतवलकर निवासी उपरदहाँ , थाना हण्डिया , प्रयागराज उम्र- 40 वर्ष। (निर्माता/निर्देशक)

03- सीताराम कोल पुत्र श्रीपति कोल निवासी गढ़वा थाना मड़िहान , मीरजापुर उम्र-38 वर्ष। कोरस गायक (टेरी वाले)

04- सुरेश कोल पुत्र कल्लू कोल निवासी हरदीहवों , गढ़वा थाना मड़िहान, मीरजापुर उम्र-30 वर्ष। कोरस गायक (टेरी वाले)

05- प्रेम सरोज उर्फ प्रचण्ड पुत्र सूर्यबली निवासी भटौली चपौर थाना कोतवाली देहात , मीरजापुर उम्र-35 वर्ष। (ढोलक वादक)

06- राकेश कुमार यादव पुत्र स्व० सोनबहादुर यादव निवासी सरजूपट्टी थाना सराय ममरेज , प्रयागराज उम्र-34 वर्ष। (हारमोनियम वादक)

07- सोनू पुत्र महेन्द्र बिन्द निवासी असवों दाउदपुर थाना हण्डिया , प्रयागराज उम्र 21 वर्ष। राममिलन का भांजा (यू-ट्यूब चैनल सह संचालक)

08- शशांक प्रजापति पुत्र कैलाशराम प्रजापति निवासी पहाड़ीपुर थाना सराय इनायत, प्रयागराज उम्र-34 वर्ष। (मॉ इन्दी स्टूडिया हबूसा मोड़ का संचालक)

09- राजवीर सिंह यादव पुत्र बृजराज सिंह मूल निवासी ग्राम सिधौली, जनपद सीतापुर। उम्र-45 वर्ष। (यादव शक्ति पत्रिका का सम्पादक तथा बहुजन नायक महिषासुर पुस्तक का लेखक व नेता)

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण की संख्या-

01- श्रीमती सरोज सरगम उर्फ सरोज कोल पुत्री अमृतलाल पत्नी राममिलन बिन्द निवासी सिंगवान , गढ़वा थाना मड़िहान, मीरजापुर उम्र 35 वर्ष। हाल पता- झूसी प्रयागराज। (बिरहा गायिका)

02- राममिलन बिन्द पुत्र स्व० रामतवलकर निवासी उपरदहाँ , थाना हण्डिया , प्रयागराज उम्र- 40 वर्ष। (निर्माता/निर्देशक)

03- सीताराम कोल पुत्र श्रीपति कोल निवासी गढ़वा थाना मड़िहान , मीरजापुर उम्र-38 वर्ष। कोरस गायक (टेरी वाले)

04- सुरेश कोल पुत्र कल्लू कोल निवासी हरदीहवॉ , गढ़वा थाना मड़िहान , मीरजापुर उम्र-30 वर्ष। कोरस गायक (टेरी वाले)

05- प्रेम सरोज उर्फ प्रचण्ड पुत्र सूर्यबली निवासी भटौली चपौर थाना कोतवाली देहात , मीरजापुर उम्र-35 वर्ष। (ढोलक वादक)

06- राकेश कुमार यादव पुत्र स्व० सोनबहादुर यादव निवासी सरजूपट्टी थाना सराय ममरेज , प्रयागराज उम्र-34 वर्ष। (हारमोनियम वादक)

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

01- श्री नीरज कुमार पाठक, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर, मीरजापुर मय टीम।

02- श्री बाल मुकुन्द मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मड़िहान, मीरजापुर मय टीम।

03- श्री राजीव कुमार सिंह, प्रभारी एसओजी मीरजापुर मय टीम।

04- श्री मानवेन्द्र सिंह, प्रभारी सर्विलांश सेल मय टीम।

बरामदगी का विवरण-

(01) मोबाइल फोन सरोज सरगम से 02, राममिलन बिन्द से 01 सह अभियुक्तों से 01-01 ।

उक्त मोबाइल फोन में महत्वपूर्ण डीजीटल साक्ष्य पाया गया है, जिसका विवेचना में विश्लेषण कराया जा रहा है।

(02)- आपत्तिजनक साहित्य ।

****